नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2010

**सा.का.नि. 209.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भंडारपाल) भर्ती नियम, 2006 और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर में, उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भंडारपाल और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर (उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भंडारपाल और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति, और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भंडारपाल | 04* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रुपए | लागू नहीं होता | नहीं | 30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी । (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी) । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन में, भंडारपालन का तीन वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण 1** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए—दो वर्ष ।<br>प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए—कुछ नहीं । |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा । |
|---|---|
| (11) | (12) |
| 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।<br>75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | ऐसा विभागीय अवर श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी में, आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण** : उच्च श्रेणी लिपिक और भंडारपाल की चक्रानुक्रम के आधार पर, तीन वर्ष के लिए अदला-बदली की जाएगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उनकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—**<br>1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर —अध्यक्ष<br>2. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर —सदस्य<br>3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर —सदस्य | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. अवर श्रेणी लिपिक | 02* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 1900 रुपए | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।)<br><br>**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी । (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी) । |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता ।<br><br>2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति । (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 अक्षर दाब पर 10500 के डी पी एच/9000 के डी पी एच के तत्समान 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट ।)<br><br>परन्तु ऐसे व्यक्तियों को, जिसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि वह तब तक वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या स्थायीवत् के लिए या उस श्रेणी में पुष्टिकरण के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक वह टंकण में ऊपर वर्णित गति प्राप्त नहीं कर लेता है, परन्तु और यह कि ऐसे शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त व्यक्ति को, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है, किन्तु उसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधा ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि उक्त असुविधा ग्रस्त व्यक्ति टंकण कर सकने के योग्य नहीं है ।<br><br>**टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br><br>**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| (11) | (12) |
|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| (13) | (14) |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—<br>1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर —अध्यक्ष<br>2. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर —सदस्य<br>3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूर —सदस्य | लागू नहीं होता । |

[फा. सं. 4-9/2010-मात्स्यिकी (प्रशासन)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 2010

**G.S.R. 209.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Upper Division Clerk-cum-Store Keeper) Recruitment Rules, 2006 and the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk-cum-Store Keeper and Lower Division Clerk in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore (Upper Division Clerk-cum-Store Keeper and Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade pay or Pay Scale | Whether Selection post or Non-selection post. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Upper Division Clerk-cum-Store Keeper | 4* (2010) (*Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C' Gazetted, Ministerial | Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 | Not applicable | No | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Central Government servants up to 40 years in the case of General Candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br>**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.) |

| Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Bachelor's degree from a recognized University with three years experience in store keeping in any Government or Semi-Government Organization.<br>**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | No | Two years : for direct recruits<br>Nil : for promotees |

| Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| 25% by promotion failing which by direct recruitment<br>75% by direct recruitment | Departmental Lower Division Clerk with 8 years regular service in the grade.<br>**Note :** The Upper Division Clerk and Store Keeper shall be interchanged for every 3 years on rotation. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :**<br>1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman<br>2. Deputy Director (Civil Engineering) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore. —Member<br>3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore. —Member | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Lower Division Clerk | 2* (2010) (*Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C' Gazetted, Ministerial | Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 | Not applicable | Not applicable | Between 18 and 27 years. (Relaxable for Central Government servants up to 40 years in the case of General candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br>**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.) |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| 1. Passed in 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University<br>2. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on manual typewriter<br>or<br>A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word):<br>Provided that a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires above mentioned typing speed provided further that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certified that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable | Two years |

| (11) | (12) |
|---|---|
| By direct recruitment | Not applicable |

| (13) | (14) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :**<br>1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman<br>2. Deputy Director, (Civil Engineering) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member<br>3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member | Not applicable. |

[F. No. 4-9/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.